

## \*प्रेस विज्ञप्ति\*

### \*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज\*

\*दिनांक- अक्टूबर 10, 2020\*

#### **\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\***

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर \*164 वाहनों का चालान , 21 वाहनों से कुल 9800/-रूपया शमन शुल्क वसूल\* किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

**\*कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा \*188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 42\* व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व \*मास्क न लगाने वाले कुल- 133 व्यक्तियों से 13300/- रुपये शमन शुल्क\* वसुला गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से \*कुल- 13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार\* कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*पशु क्रूरता अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त अली हसन गड्डी पुत्र कोमल जनपद महाराजगंज नि0 मर्यादपुर के द्वारा 02 पड़वा को क्रूरता पूर्वक मारते पीटते हुये ले जाने पर थाना स्थानीय पर \*मु0अ0सं0- 127/20, धारा- 11 क पशु क्रूरता अधिनियम\* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया ।

**\*गुण्डा अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त अनिल गुप्ता पुत्र कोदई नि0 बेलवा टीकर थाना घुघली जनपद महाराजगंज के ऊपर थाना स्थानीय पर \*मु0अ0सं0- निल/20, धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम\* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया ।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-** पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **\*कुल- 20** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

**\*जनपद में 09/10-10-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 13 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।\***